छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ–5–28/2022/10–2 नवा रायपुर, दिनांक 22/12/2022

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं वन बल प्रमुख
छ.ग. अरण्य भवन,
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषयः– Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act 1980 proposed for Jio Digital Private Ltd, Raipur Laying Optical Fiber Cable (OFC) line in Dhamtari Forest Division under Chhattisgarh Sancharkranti Yojana (SKY), area 3.786 ha. regarding.

संदर्भः– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध–1ए/115–858ए/2802, दिनांक 06.12.2022।

––––00––––

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें । विषयांकित प्रस्ताव के परीक्षण में निम्न बिंदुओं पर त्रुटियां परिलक्षित हो रही है :–

1. प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 33 में संधारित Form IV में आवेदक संस्थान द्वारा हस्ताक्षर किये गये है जबकि Form IV संबंधित वनमंडलाधिकारी द्वारा प्रदाय किया जाना होता है। कृपया Form IV में वनमंडलाधिकारी से हस्ताक्षरित प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत करें।
2. संदर्भित पत्र के बिंदु क्रमांक 10 में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन का उल्लेख है इसी तरह पृष्ठ क्र. 36, पृष्ठ क्र. 42 के बिंदु क्र. 3, पृष्ठ क्र. 43 में भी वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन का उल्लेख है, इसके विपरीत पृष्ठ क्र. 36 ए से 36 डी में प्रदायित दस्तावेज अनुसार प्रकरण में भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत् कार्यवाही कर प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया है। कृपया स्पष्ट करें कि, प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के 2022 के नियमों के तहत् वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन पर कार्यवाही हुई है अथवा नही? यदि नही हुई हो तो कृपया अद्यतन नियमानुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् कार्यवाही कर विस्तृत प्रतिवेदन प्रेषित करने का कष्ट करें।
3. विभागीय पत्र क्र. एफ 7–22/2009/10–2, दिनांक 22.06.2018 के द्वारा भारत नेट/स्काई योजनाओं से संबंधित ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के प्रकरणों के लिए 21 बिंदुओं के चेक लिस्ट का निर्धारण किया गया था। विषयांकित परियोजना में आवेदक संस्थान "जियो" है। कृपया स्थिति स्पष्ट करें।
4. प्रस्ताव में आवेदित वन भूमि के विवरण को निम्न प्रपत्र में प्रस्तुत करें :–

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र./खसरा	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)

2/– अतः निवेदन है कि, कृपया उपरोक्त बिंदुओं पर उल्लेखित त्रुटियों के अनुरूप संशोधित पत्राचार/जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें,जिसके उपरांत प्रकरण में आगामी आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

KRajput
22.12.22

(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

क्रमशः 2

पृष्ठां.क्रमांक एफ 5–28 / 2022 / 10–2 नवा रायपुर, दिनांक 22/12/2022

प्रतिलिपि :–

1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।

2.मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर, छत्तीसगढ़।

3.वनमंडलाधिकारी, धमतरी वनमंडल, धमतरी, छत्तीसगढ़।

4.महाप्रबंधक (कार्पो.अफेयर्स), जियो डिजिटल फायबर केबल प्रायवेट लिमिटेड, चतुर्थ तल, अंबुजा मॉल, विधानसभा रोड, मोवा (सड्डू), रायपुर, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग